बिहार राज्य और अन्य

बनाम

शिव भिक्षुक मिश्र

(The State of Bihar and Others

Vs.

Shiva Bhikshuk Misra)

(14 सितम्बर, 1970)

(न्या० जे०सी० शाह, के०एस० हेगडे और ए० एन० ग्रोवर)

संविधान—अनुच्छेद 311—सिविल सेवक का प्रतिवर्तन और पदच्युति—इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए कसौटी—यह ज्ञात करने के लिए कि क्या प्रतिवर्तन या पदच्युति का आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था, भले ही आदेश अभिव्यक्त रूप से ऐसा प्रतीत न होता हो, समस्त परिस्थितियों को अवश्य ही देखा जाना चाहिए—नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युति अनुच्छेद 311 के उल्लंघन के कारण अविधिमान्य होगी।

प्रत्यर्थी बिहार पुलिस बल में 31 जुलाई, 1946 तक सार्जेण्ट का अधिष्ठायी पद धारण किये हुए था। 1 अगस्त, 1946 को उसे सूबेदार के उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में प्रोन्नत कर दिया गया। जनवरी, 1948 में उसे अस्थायी रूप से सूबेदार मेजर के रूप में कार्य करने के लिए प्रोन्नत कर दिया गया। सितम्बर, 1950 में प्रत्यर्थी के बारे में यह परिवाद किया गया कि उसने अपने अर्दली पर हमला किया है और बिहार सेना पुलिस के कमाण्डेण्ट ने पुलिस उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र बल, को यह सुझाव दिया कि इस घटना के लिए प्रत्यर्थी की परिनिन्दा की जानी चाहिए। पुलिस उप-महानिरीक्षक ने महानिरीक्षक को यह सिफारिश

1970(9) eILR(PAT) SC 1

की कि उक्त घटना के कारण प्रत्यर्थी को, उसके विरुद्ध अवचार के लिए पहले से ही की जाने वाली विभागीय जांच का अवधारण होने तक सार्जेण्ट के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाए। नवम्बर, 1950 में महा-निरीक्षक ने प्रत्यर्थी को सार्जेण्ट के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया। विभागीय जांच के समाप्त होने पर उप-महानिरीक्षक ने एक आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को पदच्युत कर दिया। प्रत्यर्थी ने इस घोषणा के लिए एक वाद फाइल किया कि सार्जेण्ट के पद पर उसकी पदावनति सदोष और अवैध थी। विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय के विनिश्चय को उलट दिया कि प्रतिवर्तन का आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था और अनुच्छेद 311 के अनुपालन के कारण वह आदेश अवैध था। पदच्युति का आदेश इस आधार पर अपास्त कर दिया गया कि पदच्युति नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई है इसलिए अनुच्छेद 311 (1) का उल्लंघन हुआ है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय में इस प्रश्न पर विचार किया जाना था कि क्या प्रत्यर्थी का स्थानापन्न सूबेदार मेजर के पद से सार्जेण्ट के पद पर प्रतिवर्तन ऐसी परिस्थितियों में किया गया था जिनके कारण संविधान का अनुच्छेद 311 (2) लागू होगा। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—संविधान के अनुच्छेद 311 के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जब तक आक्षेपित आदेश में दूषण के ऐसे अभिव्यक्त शब्द न हों जिनका सरकारी अधिकारी के आचरण पर आरोप लगाया गया हो तब तक उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह दण्ड के तौर पर किया गया है। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था या नहीं कसौटी यह है कि क्या अवचार या उपेक्षा प्रतिवर्तन के आदेश का हेतु मात्र था अथवा क्या वह उस आदेश का आधार ही था। उच्चतम न्यायालय ने कभी भी ऐसा कठोर सिद्धान्त अधिकथित नहीं किया कि केवल प्रतिवर्तन के आदेश को ही देखा जाना है और यदि उसमें अवचार का कोई आरोप न हो या सरकारी अधिकारी के चरित्र या प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने वाले कोई शब्द न हों तो उसके बारे में यह मानना होगा कि वह प्रशासनिक चर्या

के मामूली अनुक्रम में किया गया है और न्यायालय यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वह आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था, आदेश किए जाने के समय विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करने से विवर्जित है। आदेश का प्ररूप उसकी सही प्रकृति का निश्चायक नहीं होता और हो सकता है कि वह अवचार पर आधारित किसी आदेश के लिए आवरण मात्र हो। कोई ऐसा आदेश, जो प्रकट रूप से अनपकारी हो और उसमें अवचार का कोई आरोप अन्तर्विष्ट न हो, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वह दण्ड के तौर पर किया गया था या प्रशासनिक चर्या में किया गया था, एक परिस्थिति या साक्ष्य हो सकता है। किन्तु आक्षेपित आदेश के पूर्व घटित होने वाली और उसके किए जाने के समय विद्यमान सभी परिस्थितियों की जांच की जानी होगी और अध्यारोही कसौटी सदैव ही यह होगी कि अवचार हेतु मात्र है या उस आदेश का आधार ही है। (पैरा 4)

प्रस्तुत मामले में प्रतिवर्तन का आदेश कमाण्डेण्ट की रिपोर्ट के पश्चात् पुलिस उप-महानिरीक्षक के टिप्पण के कारण किया गया था। प्रतिवर्तन का आदेश प्रत्यक्ष रूप से और आसन्न रूप से उस बात पर आधृत किया गया था जो कमाण्डेण्ट और उप-महानिरीक्षक ने साधारणतः प्रत्यर्थी के आचरण और विशिष्टतः उसके द्वारा अपने अर्दली पर हमले की घटना के प्रति निर्देश से कही थी। अतः ऐसा आदेश प्रशासन के सामान्य अनुक्रम में नहीं किया गया था अपितु दण्ड के तौर पर किया गया था। चूंकि पदच्युति के आदेश की तारीख को भी प्रत्यर्थी सूबेदार मेजर के पद को धारण किए हुए था जिस पर कि उसे महानिरीक्षक द्वारा उसे नियुक्त किया गया था, इसलिए उप-महानिरीक्षक द्वारा पारित पदच्युति का आदेश संविधान के अनुच्छेद 311 के अतिलंघन के कारण अवैध था। (पैरा 5)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1969] 1966 की सिविल अपील संख्या 882, जिसका विनिश्चय 7 अप्रैल, 1969 को किया गया था : **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **आर० एस० ढब्बा, आयकर अधिकारी, होशियारपुर** (The Union of India And Another *Vs.* R. S. Dhaba, Income-tax Officer, Hoshiarpur); 3, 4

[1968] (1968) 3 एस० सी० आर० 234=[1968] 1 उम० नि० प० 795 :
पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम **श्री सुख राज बहादुर** (The State of Punjab and Another *Vs.* Shri Sukh Raj Bahadur); और 3

[1964] (1964) 3 एस० सी० आर० 55 :
एस० आर० तिवारी बनाम **जिला बोर्ड, आगरा और एक अन्य** (S. R. Tiwari *Vs.* District Board, Agra and Another) 4

सिविल अपीली अधिकारिता : 1966 की सिविल अपील संख्या 1363.

1960 की प्रथम अपील संख्या 257 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 25 अगस्त, 1965 वाले निर्णय और डिक्री के विरुद्ध की गई अपील।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री एल० एम० सिंघवी और यू० पी० सिंह
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री डी० गोबर्धन और आर० गोबर्धन

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति ए० एन० ग्रोवर ने दिया।

न्यायाधिपति ग्रोवर—

यह अपील प्रमाणपत्र लेकर पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई है। प्रत्यर्थी 31 जुलाई, 1946 तक बिहार राज्य में पुलिस बल में सार्जेण्ट का अधिष्ठायी पद धारण किए हुए था। 1 अगस्त, 1946 को उसे सूबेदार के उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए प्रोन्नत कर दिया गया। 9 जनवरी, 1948 को, जब कि वह सार्जेण्ट का अधिष्ठायी पद ही धारण किए हुए था, उसे अस्थायी रूप से सूबेदार मेजर के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए प्रोन्नत कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 3 अक्तूबर, 1950 को बिहार सेना पुलिस, मुजफ़रपुर, के कमाण्डेण्ट ने पुलिस उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र बल, को एक पत्र लिखा जिसमें उसने प्रत्यर्थी और उसके अर्दली के बीच 22 नवम्बर, 1950 की रात को हुई घटना का उल्लेख किया था। कमाण्डेण्ट ने मामले में जांच की और यह राय अभिव्यक्त की कि प्रत्यर्थी ने किसी परिवाद को, जो कि अर्दली के विरुद्ध था उचित कार्रवाई के

लिए उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के बजाए कानून को अपने हाथ में लेकर अर्दली पर हमला किया था। कमाण्डेण्ट ने अपने पत्र के अन्तिम पैरे के पूर्व के पैरे में यह लिखा कि "उपरोक्त घटना को कोई कार्रवाई किए बिना छोड़ दिया जाए। सूबेदार मेजर के घोर अवचार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैं यह सुझाव देता हूं कि जहां पर वह अपेक्षित अनुशासन कायम रखने में असफल रहा है उस संबंध में उसके असमाधानप्रद व्यवहार के लिए उसकी परिनिन्दा की जाए" पुलिस उप-महानिरीक्षक ने महानिरीक्षक को एक नोट लिखा, जोकि इस प्रकार है--

> "कृपया पृष्ठ 15-12 देखिए जोकि एम० बी० पी० VI के कुख्यात सूबेदार मेजर एस० बी० मिश्र के संबंध में है जिसके आचरण के बारे में एक बोर्ड द्वारा, जिसके पीठासीन अधिकारी स्वयं पुलिस महानिरीक्षक हैं, जांच पहले से ही जारी है।
>
> इस विशिष्ट मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सूबेदार मेजर मिश्र ने बहुत अनुचित कार्य किया है और मेरे विचार में उसका स्थानान्तरण जैसा कि पुलिस उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र बल,, द्वारा सिफारिश की गई है, कोई उपचार नहीं है।
>
> वास्तव में यह बात आश्चर्यजनक है कि हमारे बोर्ड ने सूबेदार मेजर को सार्जेण्ट मेजर के रैंक पर प्रोन्नति के लिए स्वीकार कर लिया है जब कि अभी तक उसने सार्जेण्ट का प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया है। ऐसे ही एक मामले में तत्कालीन उप-महानिरीक्षक, सशस्त्र बल, ने सिफारिश की थी कि अस्थायी सार्जेण्ट को, उसके मामले पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पूर्व सार्जेण्ट का प्रशिक्षण अवश्य ही प्राप्त करना होगा। शायद सूबेदार मेजर की आयु इतनी अधिक है कि वह कुछ सीख नहीं सकता और किसी भी दशा में इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि उसे कभी भी सार्जेण्ट के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया और उसने कभी भी जिले में कार्य नहीं किया है, उसे सार्जेण्ट मेजर के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता। मूलतः उसे 'श्री क्रीड' के बोर्ड द्वारा आर० पी० पी० में नियुक्त किया गया था।
>
> मैं यह सिफारिश करता हूं कि स्थानापन्न सूबेदार मेजर को सार्जेण्ट के उसके अधिष्ठायी रैंक पर प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए और उसे हजारी बाग में तैनात कर दिया जाना

1970(9) eILR(PAT) SC 1

चाहिए। यह प्रश्न कि क्या उसे सेवा में रखे रखना चाहिए, जांच बोर्ड द्वारा अपनी कार्यवाहियां समाप्त करने के पश्चात् विनिश्चित किया जाएगा। मैं हजारी बाग में उसकी तैनाती का सुझाव साशय दे रहा हूं क्योंकि वह साक्षियों से बहुत दूर होगा और प्रत्येक साक्षी के अभिलिखित साक्ष्य में दखल देने में समर्थ नहीं होगा। सूबेदार मेजर मिश्र के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप भी गंभीर हैं किन्तु प्रतिवर्तन का आदेश पर्याप्त होगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह सम्भाव्य नहीं है कि वह उपर्युक्त सूबेदार मेजर या सार्जेण्ट मेजर बन सकेगा।"

महा-निरीक्षक ने 2 नवम्बर, 1950 को 'यथा प्रस्थापित' आदेश कर दिया। 1950 के प्रथम सप्ताह में प्रत्यर्थी से यह कहा गया कि वह अवचार के आरोपों का उत्तर देने के लिए जांच बोर्ड के समक्ष हाजिर हो। 14 नवम्बर, 1950 को प्रत्यर्थी को सार्जेण्ट के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया। 7 अप्रैल, 1954 को उप-महानिरीक्षक ने प्रत्यर्थी को पदच्युत करते हुए आदेश पारित किया।

2. फरवरी, 1954 में प्रत्यर्थी ने इस घोषणा के लिए वाद फाइल किया कि सूबेदार मेजर के रैंक से सार्जेण्ट के रैंक पर उसकी पदावनति और पदच्युति सदोष, अवैध और अप्रवर्तनीय थी तथा वह निरन्तर ही सूबेदार मेजर रहा है। उसने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित वेतन के बकाया के मद्दे भावी ब्याज सहित 3,118 रुपये की राशि के लिए डिक्री का दावा भी किया। विचारण न्यायालय ने इस दृष्टि से वाद खारिज कर दिया कि प्रतिवर्तन के आदेश में प्रत्यर्थी की क्षमता और चरित्र पर कोई धब्बा नहीं लगाया गया है और वह दण्ड के तौर पर नहीं किया गया है। अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय के विनिश्चय को उलट दिया कि 'प्रतिवर्तन प्रशासनिक कारणों के लिए सामान्य अनुक्रम में नहीं किया गया था अपितु वह वादी के विरुद्ध कुछ परिवादों के बारे में जांच के निष्कर्ष के पश्चात् किया गया था और वह उसके लिए दण्ड के तौर पर किया गया था।' पदच्युति के आदेश को इस संक्षिप्त आधार पर अपास्त कर दिया कि यदि प्रत्यर्थी उस तारीख को जिससे पदच्युति का आदेश पारित किया गया था, भले ही स्थानापन्न हैसियत में सूबेदार मेजर के पद पर बना हुआ था, तो अनुच्छेद 311(1) के उपबन्धों का

अनुपालन नहीं किया गया है। उप-महानिरीक्षक, जिसने पदच्युति का आदेश पारित किया था, उस प्राधिकारी से अधीनस्थ था जिसने उसे सूबेदार के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया था क्योंकि वह नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक था। अतः पदच्युति का आदेश अविधिमान्य था और प्रत्यर्थी पर आबद्धकर नहीं था। उसे उसके द्वारा ईप्सित घोषणा और 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर भावी ब्याज सहित 3,118 रुपये के लिए डिक्री प्रदान कर दी गई।

3. जिस एकमात्र प्रश्न का अवधारण किया जाना है वह यह है कि क्या स्थानापन्न सूबेदार मेजर के पद से प्रत्यर्थी का प्रतिवर्तन ऐसी परिस्थितियों में किया गया था जिनके कारण संविधान का अनुच्छेद 311(2) लागू हो जाएगा। **पंजाब राज्य और एक अन्य** बनाम **श्री सुख राज बहादुर**[1] में इस न्यायालय का निर्णय देते हुए न्यायाधिपति मित्तर ने इस प्रश्न पर कई विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिपादनाएं कथित कीं —

"(1) किसी अस्थायी सेवक या परिवीक्षाधीन सेवक की सेवाओं का पर्यवसान उसके नियोजन के नियमों के अधीन किया जा सकता है तथा ऐसे पर्यवसान को संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक मामले में पर्यवसान के आदेश के पूर्व की परिस्थितियों और उस समय की परिस्थितियों की जांच की जानी है, उसके हेतु का कोई महत्व नहीं है।

(3) यदि उस आदेश से लोक सेवक को कोई दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं या वह आदेश उसके चरित्र या ईमानदारी पर कोई कलंक लगाता है तो इसके बारे में यह मानना पड़ेगा कि वह दण्ड के तौर पर किया गया है, भले ही वह मात्र परिवीक्षाधीन या अस्थायी सेवक हो।

(4) निर्दोष रूप में किए गए पर्यवसान के आदेश को जिसके किए जाने के पूर्व वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा केवल यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या लोक सेवक को सेवा में रखा जाना चाहिए, जांच की गई हो, संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है।

---

[1] (1968) 3 एस० सी० आर० 234=[1968] 1 उम० नि० प० 795.

1970(9) eILR(PAT) SC 1

(5) यदि अनुच्छेद 311 द्वारा यथा-परिकल्पित पूरे पैमाने पर विभागीय जांच की गई हो, अर्थात् जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हो, आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया हो, स्पष्टीकरण मांगा गया हो और उस पर विचार किया गया हो तो तत्पश्चात् किए गए सेवा के पर्यवसान के किसी भी आदेश को उक्त अनुच्छेद लागू होगा।"

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देने की ईप्सा की गई कि प्रत्यर्थी के उसके अधिष्ठायी पद पर प्रतिवर्तन का आदेश उसके चरित्र या ईमानदारी पर कोई कलंक नहीं लगाता। भले ही उस आदेश के लिए जाने में अंतर्निहित हेतु उप-महानिरीक्षक की तारीख 1 नवम्बर, 1950 वाली रिपोर्ट थी, जो कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने अर्दली पर हमला करने की घटना के संबंध में 3 अक्तूबर, 1950 को कमाण्डेण्ट से प्राप्त हुई संसूचना के परिणामस्वरूप की गई थी, तो भी यह दण्ड के तौर पर प्रतिवर्तन का मामला नहीं होगा। इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर दिया गया कि प्रतिवर्तन का आदेश किए जाने के पूर्व ऊपर उल्लिखित घटना के बारे में अनुच्छेद 311 द्वारा यथा परिकल्पित कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी। हमारा ध्यान **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **आर० एस० ढब्बा, आयकर अधिकारी, होशियारपुर**[1] में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति आकर्षित कराया गया जिसमें तत्कालीन आयकर आयुक्त श्री पिल्लै ने यह कहा था कि सम्बद्ध अधिकारी को प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विभाग ने उसकी ईमानदारी के बारे में कई परिवाद प्राप्त किए हैं और उसके विशिष्ट अधिकारियों ने उसके बारे में बहुत खराब रिपोर्टें की हैं। श्री पिल्लै के पद-उत्तरवर्ती श्री एस० आर० मेहता ने 22 मई, 1964 को यह आदेश किया कि स्थानापन्न आयकर अधिकारी, वर्ग-II श्री ढब्बा को एक विचारण के पश्चात् उस पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया है और स्थानापन्न आयकर निरीक्षक के रूप में उसके प्रतिवर्तन का आदेश दे दिया गया है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवर्तन का आदेश दण्ड के तौर पर नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय के तत्प्रतिकूल आदेश को अपास्त कर दिया गया था। आयकर आयुक्त की पूर्ववर्ती राय के, जो ढब्बा के लिए अत्यधिक

[1] 1966 की सिविल अपील संख्या 882, जिसका विनिश्चय 7 अप्रैल, 1969 को किया गया था।

1970(9) eILR(PAT) SC 1

हानिकर थी, कारण इस विनिश्चय से बहुत अधिक समर्थन प्राप्त करने की ईप्सा की गई और उसमें यह तर्क दिया गया था कि ढब्बा का प्रतिवर्तन श्री पिल्लै के टिप्पण का प्रत्यक्ष परिणाम है। उस मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया—

> "ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 31(2) को लागू करने की कसौटी यह है कि क्या अवचार तथा उपेक्षा प्रतिवर्तन या सेवा के पर्यवसान के आदेश का केवल मात्र हेतु है या अस्थायी कर्मचारी की सेवा के पर्यवसान के आदेश का आधार ही है। [देखिए—**चंपकलाल चिमनलाल शाह** बनाम **भारत संघ**—(1964) 5 एस० सी० आर० 190]। किन्तु प्रस्तुत मामले में प्रतिवर्तन के आदेश में दूषण के ऐसे अभिव्यक्त शब्द नहीं हैं जिनका आरोप प्रत्यर्थी के आचरण पर लगाया गया हो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवर्तन का आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था और इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्ध लागू होते हैं।"

4. हम अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पूर्वोक्त विनिश्चय की तर्क निष्पत्ति यह है कि जब तक कि आक्षेपित आदेश में दूषण के ऐसे अभिव्यक्त शब्द न हों जिनका कि सरकारी अधिकारी के आचरण पर आरोप लगाया गया हो तब तक उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह दण्ड के तौर पर किया गया है। इससे पूर्व अधिकथित कसौटी जिसका कि अवलंबन किया गया है यह थी कि क्या अवचार या उपेक्षा प्रतिवर्तन के आदेश का हेतु मात्र था अथवा क्या वह उस आदेश का आधार ही था। **ढब्बा वाले मामले**[1] में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि प्रतिवर्तन का आदेश अधिकारी के अवचार या उपेक्षा पर आधारित था। जहां तक हमें ज्ञात है, इस न्यायालय ने कभी भी ऐसा कठोर सिद्धांत अधिकथित नहीं किया कि केवल प्रतिवर्तन के आदेश को ही देखा जाना है और यदि उसमें अवचार का कोई आरोप न हो या सरकारी अधिकारी के चरित्र या प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने वाले कोई शब्द न हों तो उसके बारे में यह मानना होगा कि वह प्रशासनिक चर्या के मामूली अनुक्रम में किया गया है और न्यायालय

[1] 1966 की सिविल अपिल संख्या 882, जिसका विनिश्चय 7 अप्रैल, 1969 को किया गया था.

1970(9) eILR(PAT) SC 1

यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वह आदेश दण्ड के तौर पर किया गया था, आदेश किए जाने के समय विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करने से विवर्जित है। आदेश का प्ररूप उसकी सही प्रकृति का निश्चायक नहीं होता और हो सकता है कि वह अवचार पर आधारित किसी आदेश के लिए आवरण मात्र हो। (देखिए—**एस० आर० तिवारी** बनाम **जिला बोर्ड, आगरा और एक अन्य**[1]) कोई ऐसा आदेश, जो कि प्रकट रूप से अनपकारी हो और उसमें अवचार का कोई आरोप अन्तर्विष्ट न हो, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वह दण्ड के तौर पर किया गया था या प्रशासनिक चर्या में किया गया है, एक परिस्थिति या साक्ष्य हो सकता है। किन्तु आक्षेपित आदेश के पूर्व घटित होने वाली और उस के लिए किए जाने के समय विद्यमान सभी परिस्थितियों की जांच की जानी होगी और अध्यारोही कसौटी सदैव ही यह होगी कि अवचार हेतु मात्र है या उस आदेश का आधार ही है।

5. प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवर्तन का आदेश कमाण्डेण्ट की रिपोर्ट के पश्चात् पुलिस उप-महानिरीक्षक के टिप्पण के कारण किया गया था। प्रतिवर्तन का आदेश प्रत्यक्ष रूप से और आसन्न रूप से उस बात पर आधृत किया गया था जो कि कमाण्डेण्ट और उप-महानिरीक्षक ने साधारणतः प्रत्यर्थी के आचरण और विशिष्टतः उसके द्वारा अपने अर्दली पर हमले की घटना के प्रति निर्देश से कही थी। हमें उच्च न्यायालय के मत से असहमत होने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि प्रतिवर्तन का आदेश शून्य था तो पदच्युति के पश्चात्वर्ती आदेश से, जिसे कि पुलिस उप-महानिरीक्षक ने पारित किया था संविधान के अनुच्छेद 311(1) का उल्लंघन होगा।

7. अपील असफल होती है और खर्च सहित खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

ज०

---

[1] (1964) 3 एस० सी० आर० 55.

MGIPRRND—V—31 M of Law/75—26-6-76—2,000